छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट पीटिशन (S)नं० 294/2022

सुरक्षित तिथि 01-02-2022

घोषित तिथि 14-02-2022

जय नारायण वर्मा पिता स्व० श्री सुखी राम वर्मा, उम्र लगभग 39 वर्ष जिला एवं सत्र न्यायालय कबीरधाम जिला कबीरधाम में असिस्टेंट ग्रेड 03 के रूप में कार्यरत ।

-------------- अपीलार्थी

बनाम

जिला एवं सत्र न्यायालय कबीरधाम जिला कबीरधाम छ०ग०

----------- उत्तरवादी

....

अपीलार्थी के लिए : श्री सी जयंत के राव अधिवक्ता

उत्तरवादी के लिए : श्री अम्रिता दास अधिवक्ता

....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायाधीश श्री संजय के अग्रवाल

सी ए व्ही निर्णय

1. याचिकाकर्ता ने ज्ञापन दिनांक 31-12-2021 (अनुलग्नक पी-1) की वैधता, वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया है, जिसके द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के कार्यालय में सहायक ग्रेड- ।।। के पद के लिए आवेदन करने के लिए प्रतिवादी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने वाले उनके आवेदन को कोई योग्यता नहीं पाते हुए खारिज कर दिया गया है। उपरोक्त चुनौती निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर दी गई है:

2. याचिकाकर्ता की नियुक्ति 26-3-2018 के आदेश द्वारा हुई थी और वर्तमान में वह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम - प्रतिवादी की स्थापना में सहायक ग्रेड-।।। के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 में 1,900/- ग्रेड पे के साथ कार्यरत है। इसके बाद, 24-12-2021 को सहायक ग्रेड-।।। के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 में 1,900/- ग्रेड पे के साथ भर्ती के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के स्थापना में 1,900/- जिसके लिए याचिकाकर्ता ने

29-12-2021 को प्रतिवादी को एक आवेदन दिया था, जिसमें विज्ञापन (अनुलग्नक पी-3) के पात्रता शर्त खंड (2)(7) के अनुसार सहायक ग्रेड- III के उक्त पद पर नियुक्ति के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की मांग की थी, जो निर्धारित करता है कि जो उम्मीदवार पहले से ही सरकारी सेवा में हैं, उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करते हुए दायर आवेदन पर विधिवत विचार किया और आपत्तिजनक आदेश द्वारा, उपस्थित परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद और परिचालन सरकारी परिपत्र दिनांक 21-10- 1980 (अनुलग्नक आर-1) के आलोक में, उसे खारिज कर दिया, जिसे तत्काल रिट याचिका में प्रश्नगत किया गया है।

3. प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए जवाब दाखिल किया है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधिवत विचार किया गया और चूंकि प्रतिवादी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम की स्थापना के लिए सहायक ग्रेड-III के संवर्ग में 31 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 13 पद रिक्त हैं, इसलिए परिपत्र दिनांक 21-10-1980 के आलोक में याचिकाकर्ता का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि परिपत्र दिनांक 21-10-1980 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनापत्ती मांगने वाले आवेदन पर श्रेणी-III लिपिक ग्रेड के कर्मचारी के मामले में तब विचार किया जाएगा जब वह राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से उच्च वेतनमान पर आगे बढ़ने का इरादा रखता है। चूंकि याचिकाकर्ता ने 1,900/- ग्रेड वेतन के साथ पे मैट्रिक्स लेवल-4 में सहायक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मांगी है, अतः, उसका आवेदन सही रूप से खारिज कर दिया गया है। यह भी दलील दी गई है कि हालांकि किसी भी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करना नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान की योजना के तहत एक उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इसलिए बाध्यकारी परिस्थितियों और प्रशासनिक आवश्यकता के कारण, याचिकाकर्ता को विषयांकित पद के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है और इस तरह जिला और सत्र, रायपुर की स्थापना में सहायक ग्रेड- III के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता ने समकक्ष पद पर आवेदन करने के लिए प्रतिवादी से अनुमति मांगी थी, इसलिए, स्थिति के उचित मूल्यांकन के बाद, अनुमति / मंजूरी नहीं देने का निर्णय लिया गया, क्योंकि यह प्रतिवादी प्रतिष्ठान के प्रशासनिक हित के विपरीत होगा, इसलिए, सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद उसके आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया गया है, इस तरह, रिट याचिका खारिज होने लायक है। कोई जवाब दायर नहीं किया गया है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सी. जयंत के. राव ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह मौलिक अधिकार है कि वह किसी अन्य रोजगार के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करे और यह एक नागरिक/याचिकाकर्ता का अधिकार है कि वह यह तय करे कि वह किसी विशेष पेशे का अभ्यास कहां करना चाहता है या किसी भी तरह के व्यवसाय/रोजगार में खुद को शामिल करना चाहता है और इसे केवल घोषित कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है जिसके पास विधायी मंजूरी या प्राधिकार है, लेकिन इसे 21-10-1980 के आधिकारिक परिपत्र अनुलग्नक आर-1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए **मनोज सिंह तोमर बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य** के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए इस निर्णय का हवाला दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अमृतो दास ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 21-10-1980 (अनुलग्नक आर-1) का परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें खंड 2(2) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि वर्ग-III (लिपिकीय) संवर्ग के कर्मचारियों का आवेदन केवल उस स्थिति में अग्रेषित किया जाएगा, जब उम्मीदवार ऐसे पद के लिए आवेदन करने की अनुमति मांग रहा हो, जिसका वेतनमान उसके द्वारा पहले से धारित पद से अधिक हो। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का आवेदन इसलिए खारिज कर दिया गया है, क्योंकि उसने 1,900/- के समान ग्रेड वेतन के साथ समान वेतन मैट्रिक्स में सहायक ग्रेड-III के समकक्ष पद के लिए आवेदन किया था और उसे भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि कर्मचारियों की कमी है और याचिकाकर्ता को नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के

1 2013(4) M.P.L.J. 418

तहत किसी भी पेशे को अपनाने या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसे हमेशा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है और चूंकि 21-10-1980 का परिपत्र राज्य के राज्यपाल द्वारा और उनके नाम से जारी किया गया है, इसलिए इसे घोषित कानून माना जाएगा और इसे अनुच्छेद 19(6) के तहत उचित प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता को पूरा करने के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और उक्त परिपत्र को अनुच्छेद 19(6) के तहत संदर्भित कानून के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वह **एम.आर. बालाजी और अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य और खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करेंगे। (पैराग्राफ 64) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अंत में यह रिट याचिका खारिज किए जाने लायक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वात्मक निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

7. विचारणीय संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने तथा उसे अन्य प्रतिष्ठान में सहायक ग्रेड-III के पद के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इंकार करना न्यायोचित है?

8. बेशक और निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता 26-3-2018 से वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 में 1,900/- ग्रेड वेतन के साथ प्रतिवादी की स्थापना में सहायक ग्रेड- III के पद पर काम कर रहा है और 24-12-2021 के विज्ञापन के अनुसार, उसने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की स्थापना में सहायक ग्रेड- III के पद के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 में ₹ 1,900/- ग्रेड वेतन के साथ आवेदन करने पर अनापत्ती मांगी है, आवेदन को अस्वीकार करने के लिए, प्रतिवादी ने 21-10-1980 के राज्य परिपत्र पर भरोसा किया है जो निम्नानुसार है: -

2 AIR 1968 SC 649
3 (1995) 1 SSC 574

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 740/1440/1(3)79 भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 1980

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

= = = = = = = = = =

विषयः– राज्य कर्मचारियों के आवेदन पत्र अन्य विभागों में उच्च पदों पर अग्रेषित करने के संबंध में ।

------x------

सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग–1 क्रमांक 11 में दिये गये निर्देशों के अनुसार तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों पर सीधी भरती के लिये आवेदन पत्र देने से वर्जित किया गया है. भले ही ऐसा पद उच्च वेतनमान का क्यों न हो। तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) वर्ग के कर्मचारियों के आवेदन पत्र राज्य के अंतर्गत उसी श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों में अग्रेषित करने के लिए कोई अनुदेश उक्त परिपत्र में नहीं दिये गए हैं। इसलिए सामान्यतया उनके आवेदन भी राज्य शासन के तृतीय श्रेणी अलिपिकीय पदों के लिए अग्रेषित नहीं किये जाते हैं।

2. उक्त निर्देशों पर पुनर्विचार करने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है किः–

(1) तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) कर्मचारियों के आवेदन पत्र राज्य शासन के अन्य विभागों में उसी श्रेणी के उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर सीधी भरती के लिए अग्रेषित किये जा सकते हैं।

(2) तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारियों के आवेदन पत्र राज्य शासन के अन्य विभागों में उसी श्रेणी के उच्चतर वेतनमान वाले पदों में सीधी भरती के लिये अग्रेषित किये जा सकते हैं। उपरोक्त सुविधा राज्य सेवाओं में कार्यरत् अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार के कर्मचारियों को सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1 क्रमांक 11 में निर्दिष्ट सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत ही प्राप्त होगी ।

3/ राज्य के बाहर आवेदन पत्र अग्रेषित करने के संबंध में पुस्तक परिपत्र भाग 1 क्रमांक 11 के निर्देश यथावत रहेंगे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही/–
(के०एन० श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपर्युक्त परिपत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी (गैर–अनुसचिवीय) कर्मचारियों के आवेदनों के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया है, जिन्हें राज्य सरकार के अन्य विभागों में उच्च वेतनमान पर रोजगार प्राप्त करने के लिए अग्रेषित किया जा सकता है और दूसरी बात, तृतीय श्रेणी (गैर–अनुसचिवीय) कर्मचारियों के आवेदनों को उच्च वेतनमान पर अन्य विभागों में रोजगार प्राप्त करने के लिए अग्रेषित किया जा सकता है। इसमें कहीं भी पात्रता शर्तों के खंड (2)(7) के तहत किसी भी मामले में किसी भी प्रकार की अनुमति का उल्लेख नहीं किया गया है विज्ञापन (अनुलग्नक पी–3) में स्पष्ट रूप से यह अपेक्षित है कि जो अभ्यर्थी पहले से ही सरकारी सेवा में हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत घोषित कानून बताया गया है, जो युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाता है।

10. इस स्तर पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है: –

"अनुच्छेद 19. वाक्–स्वातंत्र्य आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का

संरक्षण। (1) सभी नागरिकों को अधिकार होगा–

(क) से (च)

(छ) कोई भी पेशा अपनाना, या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करना।"

11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के अनुसार, सभी नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने, या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। "व्यवसाय" शब्द में रोजगार भी शामिल है।

12. **टी.एम.ए.पई फाउंडेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने "व्यवसाय" शब्द पर विचार किया था और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने इसे इस प्रकार माना था: –

> 25. ... व्यवसाय" किसी व्यक्ति की आजीविका के साधन या जीवन में एक मिशन के रूप में की जाने वाली गतिविधि होगी। सोदान सिंह मामले में ऊपर उद्धृत टिप्पणियां अनुच्छेद 19(1)(जी) में "व्यवसाय" अभिव्यक्ति की सही व्याख्या करती हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार, यह याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार है कि वह तय करे कि वह कहां कोई पेशा अपनाना चाहता है या किसी भी तरह के रोजगार में खुद को लगाना चाहता है, जिसमें राज्य में रोजगार भी शामिल है और इसे केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अनुसार ही सीमित किया जा सकता है। भारत अनुच्छेद 19(6) के तहत कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(6) में निम्नानुसार कहा गया है: –

"(6) उक्त खंड के उपखंड (जी) की कोई बात किसी विद्यमान कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर सामान्य जनता के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाती है या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, और विशेष रूप से उक्त उपखंड की कोई बात किसी विद्यमान कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह निम्नलिखित से संबंधित है या राज्य को निम्नलिखित से संबंधितकोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी ।

4 (2002) 8 SCC 481

(i) कोई पेशा अपनाने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार चलाने के लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी योग्यताएं, या

(ii) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा चलाया जाने वाला कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार, या कोई भी व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा, चाहे नागरिकों को पूर्णतः या आंशिक रूप से या अन्यथा बहिष्कृत करके।"

14. वैध होने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) के तहत किसी सीमा को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:–

(क) इसे कानून द्वारा लागू किया जाना चाहिए:

(ख) ऐसा कानून 'राज्य' द्वारा बनाया जाना चाहिए।

(ग) ऐसा कानून वैध होना चाहिए।

(घ) प्रतिबंध सीमा खंड (2) से (6) में निर्दिष्ट किसी भी आधार से निकटता से संबंधित होना चाहिए, जो प्रश्नगत मौलिक अधिकार के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

(ई) कानून द्वारा लगाया गया प्रतिबंध 'उचित' होना चाहिए, सिवाय खंड (6) के उप–खंड (i) से (ii) के अंतर्गत आने वाले मामलों के।

{दुर्गा दास बसु द्वारा लिखित भारतीय संविधान पर टिप्पणी (9 वां संस्करण) (खंड 3) (पृष्ठ 3267) देखें।}

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के परिसीमा खंड (6) में 'राज्य द्वारा कोई कानून बनाना' अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट है कि किसी राज्य द्वारा कोई कानून बनाने पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आदेश को वैध होने के लिए, उसे 'कानून' द्वारा लगाया जाना चाहिए, जो 'राज्य' द्वारा बनाया गया है।

16. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) के तहत उचित प्रतिबंध लगाने के लिए, यह विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून होना चाहिए। **बिहार राज्य और अन्य बनाम प्रोजेक्ट उच्च विद्या शिक्षक संघ और अन्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी नागरिक को नीतिगत निर्णय या परिपत्र के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 19(6) के उद्देश्य के लिए कानून विधानमंडल द्वारा अधिनियमित होना चाहिए, और निम्नांकित टिप्पणी की: –

5 (2006) 2 SSC 545

"69. किसी नागरिक को कानून के अनुसार ही उक्त अधिकार से वंचित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) के प्रयोजन के लिए कानून की आवश्यकता किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार परिपत्र या नीतिगत निर्णय जारी करके या अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसा कानून, यह सामान्य बात है, विधायिका द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए।"

17. **खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड** (सुप्रा) (जिस पर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने भरोसा किया) में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत प्रतिबंध किसी भी अधीनस्थ कानून द्वारा भी लगाए जा सकते हैं, और पैराग्राफ 64 में निम्नानुसार कहा गया है: –

"64. इन मामलों के समूहों में अंतिम विवाद यह है कि क्या राज्य अधीनस्थ विधान द्वारा अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत प्रतिबंध और सीमाएँ लगा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 13(3) (ए) में कहा गया है कि कानून में "भारत के क्षेत्र में कानून का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप–कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या प्रथा" शामिल है। अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून और अनुच्छेद 19(1)(ए) से (जी)में उल्लिखित संबंधित मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से अधीनस्थ विधान के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं। हम वर्तमान मामले में अनुच्छेद 19 के खंड (6) से संबंधित हैं। उक्त खंड से यह स्पष्ट होगा कि यह केवल "किसी भी मौजूदा कानून के संचालन की बात करता है, जहां तक यह अनुच्छेद 19(1)(जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाले किसी भी कानून को बनाने से रोकता है।"

इस प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही संबंधित प्रतिबंधों को लागू करना अनिवार्य बनाता हो। इसलिए संबंधित प्रतिबंध किसी अधीनस्थ कानून द्वारा भी लगाए जा सकते हैं, जब तक कि ऐसा कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन न करता हो। यह इस तथ्य से अलग है कि पीने योग्य शराब का व्यापार या व्यवसाय एक ऐसा व्यापार या व्यवसाय है जो वाणिज्यिक क्षेत्र से बाहर है और इसलिए इसे कार्यकारी आदेश द्वारा भी विनियमित और प्रतिबंधित किया जा सकता है, बशर्ते कि यह राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया हो। इसलिए,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हम इस प्रश्न का उत्तर तदनुसार देते हैं।"

18. मप्र उच्च न्यायालय ने **मनोज सिंह तोमर** (सुप्रा) मामले में इसी प्रकार की तथ्यात्मक स्थिति में, दिनांक 21–10–1980 के परिपत्र पर विचार करते हुए स्पष्ट रूप से माना है कि किसी अन्य विभाग में समकक्ष पद के लिए रोजगार हेतु आवेदन करने में सरकारी कर्मचारी के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, तथा पैराग्राफ 8 में निम्नानुसार टिप्पणी की है: –

8. मेरी राय में, जी.ए.डी. का दिनांक 21–10–1980 का परिपत्र लागू हो या न हो, तथ्य यह है कि यह तथ्य बना हुआ है कि याचिकाकर्ता को किसी अन्य रोजगार के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने का मौलिक अधिकार है। यह नागरिक का अधिकार है कि वह तय करे कि वह किसी विशेष पेशे में काम करना चाहता है या किसी भी तरह के व्यवसाय में खुद को शामिल करना चाहता है। उक्त अधिकार को केवल अनुच्छेद 19(6) के अनुसार सीमित किया जा सकता है। इस प्रकार, उचित प्रतिबंध, जो अनुच्छेद 19(6) के अनुरूप हैं, लागू किए जा सकते हैं, लेकिन कोई अन्य शर्त जो "उचित प्रतिबंधों" के अनुरूप नहीं है, किसी नागरिक के किसी अन्य पेशे या व्यवसाय को चुनने के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती है। यदि जी.ए.डी. के आदेश का परीक्षण उपरोक्त आधार पर किया जाता है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि केवल इसलिए कि किसी अन्य विभाग में समकक्ष पद के लिए रोजगार की मांग की गई है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और उपरोक्त आधार पर... (2006) 2 एससीसी 545 में निम्नलिखित राय दी गई ।

"69. किसी नागरिक को कानून के अनुसार ही उक्त अधिकार से वंचित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) के प्रयोजन के लिए कानून की आवश्यकता किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार परिपत्र या नीतिगत निर्णय जारी करके या अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसा कानून, यह सामान्य बात है, विधायिका द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए।"

19. प्रतिवादी के विद्वान वकील का यह निवेदन है कि दिनांक 21–10–1980 का परिपत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के सम्यक अनुपालन के पश्चात भारत के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, इसलिए उक्त परिपत्र एक ऐसा परिपत्र है जो एक सरकारी कर्मचारी, जो पहले से ही सेवा में है, द्वारा धारित पद से जुड़ी शर्तों को निर्धारित / निर्धारित करता है, और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत घोषित कानून है, जो भी योग्यता रहित है।

20. **प्रोजेक्ट उच्च विद्या शिक्षक संघ** के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत उचित प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार परिपत्र या नीतिगत निर्णय जारी करके नहीं लगाया जा सकता है, यह केवल सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही लगाया जा सकता है। इसी तरह, **खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड** (सुप्रा) में, उनके आधिपत्य ने माना है कि ऐसा प्रतिबंध अधीनस्थ कानून द्वारा भी लगाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. **प्रोजेक्ट उच्च विद्या शिक्षक संघ** के मामले (सुप्रा) और **खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड** (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित संवैधानिक प्रावधान और कानून के सिद्धांतों के प्रकाश में मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि 21-10-1980 का परिपत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अर्थ के भीतर एक "कानून" है, जो नागरिकों/याचिकाकर्ता को सरकार के अन्य विभागों में रोजगार प्राप्त करने के लिए तत्काल मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार पर एक वैध और उचित प्रतिबंध है। नतीजतन, दिनांक 31-12-2021 का विवादित ज्ञापन (अनुलग्नक पी-1) एतद्द्वारा रद्द किया जाता है। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार करे और उसे तुरंत प्रदान करे। चूंकि याचिकाकर्ता को 25-1-2022 के अंतरिम आदेश द्वारा चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, इसलिए अंतरिम आदेश को अंतिम एवं शुद्ध माना जाता है।

22. रिट याचिका को ऊपर वर्णित सीमा तक स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Writ Petition (S) No.294 of 2022

Jal Narayan Verma

Versus

District & Sessions Judge, Kabirdham

Head Note

The petitioner / Government servant is eligible for no objection certificate from the present employer to apply for Government post in absence of valid law under Article 19(6) of the Constitution of India.

याचिकाकर्ता / सरकारी सेवक किसी वैध विधि के अभाव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत सरकारी पद के लिये आवेदन करने हेतु वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र पाने का हकदार है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur